| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1– अपील/एल.आर./2002/6405/अलवर जोरे खां बनाम मजीद खां<br>2– अपील/एल.आर./2002/6406/अलवर जोरे खां बनाम शोकत खां<br>3– अपील/एल.आर./2002/607/अलवर जोरे खां बनाम सरकार<br>4– अपील/एल.आर./2002/6440/अलवर जोरे खां बनाम अयूब खां | |
| 07–2–2020 | **एकल–पीठ**<br>**श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य**<br><br>**उपस्थिति :–**<br>श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी<br>श्री अयूब खान ) अभिभाषक अप्रार्थी<br>श्री मुकेश जैन )<br><br>**निर्णय**<br><br>1– यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 30–7–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br><br>2– उक्त चारों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–76 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 30–7–2002 जो कि अपील संख्या–173/2000, 174/2000, 175/2000 व 176/2000 में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं जिसका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाये।<br><br>3– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी ग्राम मौजपुर के नामान्तरकरण संख्या–3297 खातेदार मकबूल खां पुत्र माले खां से जरिये रजिस्ट्री बेचान किये जाने पर बहक अयूब खां पुत्र कन्नी मेव के हक में खोला गया था। नामान्तरकरण | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>1– अपील/एल.आर./2002/6405/अलवर जोरे खां बनाम मजीद खां<br>2– अपील/एल.आर./2002/6406/अलवर जोरे खां बनाम शोकत खां<br>3– अपील/एल.आर./2002/607/अलवर जोरे खां बनाम सरकार<br>4– अपील/एल.आर./2002/6440/अलवर जोरे खां बनाम अयूब खां | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | संख्या–3298 मजीद खां, हमीर खां, रसीद खां पि. नूरमोहम्मद के हक में खोला गया। नामान्तरकरण संख्या–3299 शोकत खां पुत्र सुल्तान खां, मोहम्मद अली पुत्र सुल्तान खां, जमील खां पुत्र सुल्तान खां, जहूर खां पुत्र बने सिंह, मुबीन खां, समसू खां पि. समीर खां के हक में खोला गया था। नामान्तरकरण संख्या–3300 शोकत खां पुत्र सुल्तान खां, जमीन पुत्र सुल्तान खां के नाम खोला गया था। जिस पर तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ ने दिनांक 19–1–1998 को रेस्पो./क्रेतागण द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 1–4–1997 एवं 10–9–1997 के आधार पर विवादित आराजी पर क्रेतागण का कब्जा नहीं होना मानते हुये उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने दिनांक 31–3–1998 के निर्णय द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ का आदेश दिनांक 19–1–1998 निरस्त कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर चार अपीलें विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–7–1999 द्वारा खारिज कर दी। तत्पश्चात नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ ने प्रकरण में गैर कानूनी तौर पर अपने निर्णय दिनांक 25–10–2000 द्वारा नामान्तरकरण संख्या–3297, 3298, 3299 व 3300 रेस्पो. /क्रेतागण के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने चार अपीलें विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में पेश की। जिसे विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30–7–2002 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह चारों अपीलें इस | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1– अपील/एल.आर./2002/6405/अलवर जोरे खां बनाम मजीद खां<br>2– अपील/एल.आर./2002/6406/अलवर जोरे खां बनाम शोकत खां<br>3– अपील/एल.आर./2002/607/अलवर जोरे खां बनाम सरकार<br>4– अपील/एल.आर./2002/6440/अलवर जोरे खां बनाम अयूब खां | |

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

4– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

5– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने महज रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर ही बिना किसी जांच के आराजी मुतनाजा का नामान्तरकरण रेस्पो. के पक्ष में किये जाने का आदेश पारित करने में भूल की है। उनका यह भी कथन है कि बिना किसी जांच के विपक्षीगण के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने भारी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की कोई विवेचना अपने निर्णयों में नहीं कर गलत नामान्तरकरणों को बहाल करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 30–7–2002 एवं विद्वान नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ का आदेश दिनांक 25–10–2000 निरस्त किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

**1- RBJ-2011 Page-253**
**2- RBJ-1999 Page-481**

6– अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1– अपील/एल.आर./2002/6405/अलवर जोरे खां बनाम मजीद खां<br>2– अपील/एल.आर./2002/6406/अलवर जोरे खां बनाम शोकत खां<br>3– अपील/एल.आर./2002/607/अलवर जोरे खां बनाम सरकार<br>4– अपील/एल.आर./2002/6440/अलवर जोरे खां बनाम अयूब खां | |

कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत, तर्कसंगत व न्यायसंगत है। नायब तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 25–10–2000 द्वारा केताओं के पक्ष में नामान्तरकरण तसदीक किये हैं वह निर्णय विधि के प्रावधानों के अनुरूप ही है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने चारों अपील निरस्त कर सही निर्णय पारित किया है। हस्तगत चारों अपीलों में ऐसा कोई ठोस तथ्य व विधि के प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया है जिससे अपील स्वीकार की जा सके। अतः अपील निरस्तनीय है।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

8– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 25–10–2000 में प्रकरण का सम्पूर्ण वृतांत वर्णित किया है, जो निम्न प्रकार है :–

> ''प्रकरणों में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर–1848/2.17, 1849/2.09, 1847/2.10, 1876/0.10, 1829/2.16, 1892/5.05 वाके ग्राम मौजपुर को बैयनामा दिनांक 1–4–97 से तथा खसरा नं.–1819/3.15, 1881/0.03 वाके ग्राम मौजपुर के दिनांक 10–9–1997 के आधार पर खरीद की गयी है। पटवारी हल्का मौजपुर ने उक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या–3297 से खसरा नम्बर 1849/2.09 अयूब खां पुत्र कन्नी मेव के हक में तथा नामान्तरकरण संख्या–3298 से खसरा नम्बर–1847,

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1– अपील/एल.आर./2002/6405/अलवर जोरे खां बनाम मजीद खां<br>2– अपील/एल.आर./2002/6406/अलवर जोरे खां बनाम शोकत खां<br>3– अपील/एल.आर./2002/607/अलवर जोरे खां बनाम सरकार<br>4– अपील/एल.आर./2002/6440/अलवर जोरे खां बनाम अयूब खां | |

1848, 1876 मजीद खां, हमीद खां, रसीद खां पुत्र नूर मोहम्मद के हक में तथा नामान्तरकरण संख्या–3299 से खसरा नम्बर 1829, 1892 शोकत खां पुत्र सुल्तान खां, मुहम्मद अली पुत्र सुल्तान खां, जमील खां पुत्र सुल्तान खां, जहूर खां पुत्र बनेसिंह, मुवीन खां पुत्र जुम्मा खां मेव, समसू खां पुत्र समीर खा, जाति मेव के हक में तथा नामान्तरकरण संख्या–3300 से सा. नम्बर 1819, 1881 शोकत खां पुत्र सुल्तान मेव, जाति मेव निवासी मौजपुर के हक में दर्ज किये गये हैं।''

9– उक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि विवादित आराजी जरिये पंजीकृत बयनामा अप्रार्थीगण को विक्रय की गई थी और कब्जा क्रेतागण को तुरन्त संभलवा दिया गया था। इस तथ्य के आधार पर ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर ने प्रकरण नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिमाण्ड कर प्रकरण की जांच कर नामान्तरकरण तसदीक करने का आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो निर्णय दिनांक 28–7–1999 द्वारा खारिज की गई थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर के निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ ने नामान्तरकरण संख्या–3297, 3298, 3299 व 3300 को सही मानकर क्रेतागण के पक्ष में तस्दीक करने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर में चार अपीलें प्रस्तुत की गई थी जो निर्णय दिनांक 30–7–2002 द्वारा खारिज कर दी गई।

10– अपीलार्थीगण का कथन है कि विवादित भूमि पर क्रेतागण का कब्जा नहीं है। अपीलार्थीगण का यह कथन सही प्रतीत नहीं

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1– अपील/एल.आर./2002/6405/अलवर जोरे खां बनाम मजीद खां<br>2– अपील/एल.आर./2002/6406/अलवर जोरे खां बनाम शोकत खां<br>3– अपील/एल.आर./2002/607/अलवर जोरे खां बनाम सरकार<br>4– अपील/एल.आर./2002/6440/अलवर जोरे खां बनाम अयूब खां | |

होता है क्योंकि पंजीकृत बयनामा में स्पष्ट रूप से दर्शित है कि कब्जा क्रेतागण को संभलवा दिया है और नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 25–10–2000 में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। अतः अपीलार्थीगण का यह कथन मानने योग्य नही है। इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2011 पेज–253 इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह अभिमत प्रकट किया है कि बिना कब्जे के नामान्तरकरण तसदीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकरण में तो कब्जा विक्रय की तिथि को ही संभलवा दिया था अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है।

11– इसी प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आरबीजे 1999 पेज–481 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया जिसमें अभिमत प्रकट किया गया है कि जब नियमित वाद विचाराधीन हो तो **''समरी प्रोसीडिंग''** को **''स्टे''** कर दिया जाना चाहिये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही **(Fiscal Proceeding)** है। नामान्तरकरण की कार्यवाही से किसी के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। अतः नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता क्योंकि लगान आदि के लिये नामान्तरकरण का तसदीक होना आवश्यक होता है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त से भी अपीलार्थी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

12– अतः उपर्युक्त विवेचन से यह भली–भांति सिद्ध है कि

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1– अपील/एल.आर./2002/6405/अलवर जोरे खां बनाम मजीद खां<br>2– अपील/एल.आर./2002/6406/अलवर जोरे खां बनाम शोकत खां<br>3– अपील/एल.आर./2002/607/अलवर जोरे खां बनाम सरकार<br>4– अपील/एल.आर./2002/6440/अलवर जोरे खां बनाम अयूब खां | |

अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय उचित, विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत हैं। इन निर्णयों में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अपील में ऐसे कोई सारभूत व महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें अपीलार्थी को कोई बल मिले।

13– फलस्वरूप अपीलार्थी की चारों अपीलें निरस्त की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 30–7–2002 एवं नायब तहसीलदार लक्षमणगढ़ का निर्णय दिनांक 25–10–2000 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( हरि शंकर गोयल )**

**सदस्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1– अपील/एल.आर./2002/6405/अलवर जोरे खां बनाम मजीद खां<br>2– अपील/एल.आर./2002/6406/अलवर जोरे खां बनाम शोकत खां<br>3– अपील/एल.आर./2002/607/अलवर जोरे खां बनाम सरकार<br>4– अपील/एल.आर./2002/6440/अलवर जोरे खां बनाम अयूब खां | |